जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 03.09.2024

***"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप चोरी के मामलें मे अभियुक्त को 04 वर्ष व 10 माह की 5000 रु/0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित ***

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 03.09.2024 को ***अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा **थाना बखिरा** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 86/20 धारा 457/380/411 भा0द0वि0 के मामलें में दोषसिद्ध अभियुक्त नाम पता अहमद अली पुत्र खलीफुजमा उर्फ पीडारे निवासी लेडुआमहुआ थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को अभियुक्त अहमद अली को अन्तर्गत धारा 380 भा0द0वि0 में 03 वर्ष के साधारण कारावास व 1000 रु/0 के अर्थदण्ड , धारा 457 भा0द0वि0 में 04 वर्ष 10 माह के साधारण कारावास व 3000 रु/0 के अर्थदण्ड एवं 411 भा0द0वि0 में 03 वर्ष के साधारण कारावास व 1000 रु/0 के अर्थदण्ड (कुल राशि 5000 रु/0- अर्थदण्ड) से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 02 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भोगना होगा। अभियुक्त द्वारा पूर्व में जेल में बिताई गयी अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले मे वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सत्यजीत गुप्ता द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल श्री केशवनाथ के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बखिरा श्री श्याम मोहन के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 270/2024 धारा 137(2), 87 बीएनएस व 16/17 पाक्सो एक्ट के मामले मे वांछित अभियुक्त नाम पता फखरुल हसन अंसारी उर्फ लड्डू पुत्र अब्बुल हसन निवासी ग्राम वार्ड नं0 05 लेडुआ महुआ थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 03.09.2024 को दुर्गजोत तिराहे के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 28.08.2024 को थाना बखिरा पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध वादिनी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व अभियुक्त के परिजनों द्वारा घटना में सहयोग करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना बखारा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर साक्ष्य संकलन करते हुए मुकदमा उपरोक्त में सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री रामप्रवेश यादव, का0 हिमांशु मिश्र।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 06 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3304 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 3304 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत बरखौली से इवेन्ट संख्या 31492 से कालर द्वारा सड़क मार्ग में ट्रक और मैजिक में टक्कर होने के कारण 02 व्यक्तियों (1- अंकित चौरसिया पुत्र रवि चौरसिया, जनपद झांसी, 2- मुस्तफा पुत्र नईमुत्तुलाह, जनद कुशीनगर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों को एम्बुलेंश 108 की सहायता से इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना को0 खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सुझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ- आ0 दीपक कुमार, हो0चा0 शिवदास।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 125 वाहनों से 1,47,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 03.09.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 125 वाहनों से 1,47,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए चोरी के 01 अदद गगरा 01 अदद लोटा 01 अदद कठरा 01 अदद थाली 02 अदद परात पीली धातु, 800रु0 के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेहदावल ***श्री केशवनाथ*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान थाना प्रभारी बेलहरकला ***श्री जीतेन्द्र कुमार यादव*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा अभियुक्त सोनू पुत्र रमेश चन्द्र निवासी बेलहर खुर्द थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर सम्बन्धित मु0अ0सं0 207/2024 धारा 331(4), 305, 317(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 201/2024 धारा 305(E), 317(2) बीएनएस को आज दिनांक 03.09.2024 को मुखबीर की सूचना पर कुशहरा जाने वाले मार्ग में पुलिया के पास से 01 बोरा में 01 अदद गगरा 01 अदद लोटा 01 अदद कठरा 01 अदद थाली 02 अदद परात पीली धातु तथा 800रु0 के साथ गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 23.08.2024 को वादी परशुराम चौरसिया ग्राम प्रधान ग्राम अगियौना थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना बेलहरकला पर बावत अज्ञात चोर के विरुद्ध दिनांक 21.08.2024 की रात को पंचायत भवन अगियौना में से इनवर्टर बैट्री, इनवर्टर मशीन व कुछ अभिलेख चोरी कर लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर मु0अ0सं0 201/2024 धारा 305(E) बीएनएस पंजीकृत कराया था तथा दिनांक 02.09.2024 को वादी अशोक कुमार पुत्र दिनेशचन्द निवासी नगर पंचायत बेलहरकला वार्ड नं0 03, थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना बेलहरकला पर बावत अज्ञात चोर के विरुद्ध दिनांक 29.09.2024 की रात्रि में वादी के मकान का ताला तोड़कर 01 गगरा, 01 लोटा, 01 कठरा, 01 थाली, 02 परात चोरी कर लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर मु0अ0सं0 207/2024 धारा 331(4), 305 बीएनएस पंजीकृत कराया गया था। थाना बेलहरकला पुलिस

द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त सोनू उपरोक्त का नाम प्रकाश में लाया गया तथा साक्ष्य संकलन के आधार पर उपरोक्त अभियोगों में सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी की गयी। थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तका विवरण–

1. सोनू पुत्र रमेश चन्द्र निवासी बेलहर खुर्द थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरण –

01 बोरा में 01 अदद गगरा 01 अदद लोटा 01 अदद कठरा 01 अदद थाली 02 अदद परात पीली धातु तथा 800रु0।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनाक 29.08.2024 की रात में अशोक पुत्र दिनेश चन्द जो मेरे ही गाँव के हैं, उन्ही के घर में से चोरी किया था। आज में उसे बेचने के लिये ले जा रहा था कि आप लोगों ने पकड़ लिया और पूछताछ किया गया तो बताया कि दिनांक 21.08.2024 की रात को ग्राम अगियाना में पंचायत भवन में लगे इन्वर्टर व बैटरी चोरी किया था, जिसे में नैपाल बार्डर पर ले जाकर एक अंजान व्यक्ति को बेच दिया था। बेचने पर मुझे 4500 रु० मिला, इस चोरी का साहब मेरे पास मात्र 800 रु० बचा है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण–

उ0नि0 श्री रविन्द्रनाथ शर्मा, उ0नि0 श्री अनुज कुमार यादव, हे0का0 सुशील कुमार, हे0का0 इन्द्रकमल यादव, का0 मंजीत वर्मा।